



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment Forest & Climate Change)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5. Arera Colony
Bhopal-4620 16

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Tel: 0755-2466970, 2466859

Fax : 0755-2462136


No: 3972 / SEIAA/2020

Date: 14.01.2020

कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के SEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 1216/SEIAA/2019 दिनांक 20.06.2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति अंतरण/हस्तांतरण के बिन्दु क्र. 5 में केवल रेत खदानों हेतु निम्न आंशिक संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

"परियोजना प्रस्तावक {उप पट्टाधारी (Sub Leasee)/मुख्य पट्टाधारी (Main Leasee)} जिसके नाम से अथवा जिस मुख्य पट्टाधारी के पक्ष (Behalf) के आधार पर उप पट्टाधारी को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उप पट्टाधारी अथवा मुख्य पट्टाधारी द्वारा रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर परिशिष्ट-6 पर दिए गए प्रारूप में नोटरीज्ड अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।"


(जितेन्द्र सिंह राजे)

सदस्य सचिव, SEIAA

पृ. क्र. /SEIAA/2020

भोपाल दिनांक

1. सभी संबंधित
2. अध्यक्ष / सदस्य SEIAA, राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल
3. सभी अधिकारी SEIAA एवं SEAC भोपाल
4. गार्ड फाईल
5. MPSEIAA बेवसाईट


(जितेन्द्र सिंह राजे)

सदस्य सचिव, SEIAA